न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 60/21(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/636

अनवान्

श्री मन्दिर मुर्ति नरसिंगजी भगवान कानोड जरिये वाद मित्र पुजारी,

1. श्री वालुदास पिता श्री पुरूषोतमदास जी वैरागी मृतक के बजाय
   1/1 श्री सत्यनारायण पिता स्व. वालुदास जी वैरागी, निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
2. श्री लक्ष्मणदास पिता श्री पुरूषोतमदास जी वैरागी मृतक के बजाय
   2/1 श्री कालुदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
   2/2 श्री किशनदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
   2/3 श्री गोपालदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मदनलाल पिता श्री मथुरालाल जी बाह्मण चौबीसा तद्समय अध्यक्ष चौबीसा समाज निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
2. श्री वासुदेव पिता श्री मोड जी मन्दावत चौबीसा निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
3. श्री केशव पिता श्री रामकिशन जी चौबीसा निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
4. श्री मुकेश पिता राधावल्लभ जी पुरोहित निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
5. श्री भुपेन्द्र पिता हरिचरण जी जोशी निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
6. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी, वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

..................विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–08.01.2024

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है [illegible] यह कि मौजा कानोड ए पटवार हल्का कानोड भुअभिलेख निरिक्षक [illegible] कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की भूमि मन्दिर मूर्ति श्री नरसिंग भगवान कानोड के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 818 पर आराजी न. 1729/2+3 रकबा 1 बिघा 15 विश्वा, 1730 रकबा 5 विश्वा आ.चा. और आ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested

न. 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता– 3 रकबा 2 बिघा 3 विश्वा है जो मन्दिर मूर्ति श्री नरसिंग जी भगवान स्थान देह के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित हैं व परिशिष्ट (ख) आराजी न. 1728 रकबा 17 विश्वा है जो मन्दिर मूर्ति श्री नरसिंग भगवान कानोड के खातेदारी की होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में समस्त चौबीसा ब्राहमणान् साकिन देह श्री नरसिंह जी स्थान देह के नाम अंकित हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी के पिता श्री पुरूषोतमदास वल्द रूगनाथदास वैरागी सा.देह पुजारी होकर भगवान की सेवा पूजा करते थे और उक्त आराजीयात पर काश्त उपयोग उपभोग करते थे। श्री पुरूषोतमदास जी की मृत्यु 50 वर्ष पहले हो गयी। पुरूषोतमदास जी के जीवनकाल में एवं मृत्युपरान्त प्रार्थीगण मन्दिर मूर्ति की सेवा पूजा और कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात पर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में से आराजी न. 1728 एवं 1729 के मध्य नजरी में वर्णित लाल रंग से चिन्हीत प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एवं परिवारजन का दाहसंस्कार धरमनिति परम्परा अनुसार वहां कर वहां पर वैरागी सम्प्रदाय के धर्मगुरू श्री रामानन्द जी महाराज का चबुतरा निर्माण कर चबुतरे पर पगलिया जी स्थापित किये जिनकी प्रार्थीगण एवं परिवारजन, रिश्तेदार पूजन करते आ रहे है जो हमारा आस्था स्थल हैं। यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण लाभ अर्जित करने की नीयत से जेसीबी मशीन से खडडे कर खजुर, नीम, सहित अन्य छोटे मोटे पैड उखाड दिये व जबरन कब्जा कर लिया तथा विपक्षीगण धमकी दे रहे है कि वादग्रस्त जमीन से प्रार्थीगण पुजारियों को बेदखल कर ठाकुर जी को ले जायेगें जब कि प्रार्थीगण की ठाकुर जी की पारिवारिक बन्दोबस्त के अनुसार प्रार्थीगण एक एक वर्ष करते आ रहे हैं ओर इस वर्ष फाल्गुन कृष्ण एकम से प्रार्थी बालुदास सेवा पूजा अर्चना करते चले आ रहे है एवं ओर इस सेवा पूजा के पेटे भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है एवं इसमें पैदा होने वाली पैदावार काश्त कर ले रहे हैं राज्य सरकार या किसी समाज से किसी तरह का कोई अनुदान या आर्थिक मदद नहीं हैं।

2. यह कि वादग्रस्त भूमि श्री नरसिंह जी मन्दिर में बिराजित नाबालिग अवयस्क मुर्ति की है ओर वे इस मन्दिर मुर्ति एवं उनकी भूमि की रक्षा करने में सक्षम नहीं है ओर प्रार्थीगण इस मन्दिर मुर्ति के पुजारी होकर इस मन्दिर में सदीप से सेवा पूजा अर्चना करते चले आ रहे है जिससे इस भूमि, हमारी आस्था स्थल एवं मन्दिर मुर्ति एवं मन्दिर की वादग्रस्त भूमि एवं हमारे आस्था स्थल के साथ जानबुझकर छेडछाड कर रहे हैं। अतः प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के परिशिष्ट (क) में अंकित आराजी नम्बर 1729/2+3 रकबा 1 बीघा 15 विश्वा, आराजी नम्बर 1730 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता 3 रकबा 2 बिघा 3 विश्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री नरसिंह जी मन्दिर स्थान देह खुद काश्त के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है तथा परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी नम्बर 1728 रकबा 17 विश्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में चौबीसा ब्राहमणान सा.देह श्री नरसिंह जी स्थान देह के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है तथा परिशिष्ठ (क) एवं (ख) की कुलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात श्री नरसिंह जी भगवान सथान देह के खातेदारी की है एवं नरसिंह जी भगवान के मन्दिर की सेवा पूजा वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा की जा रही है एवं मदिर का सारा प्रबंधन एवं देखरेख का कार्य भी समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा किया जाता हैं। नरसिह जी भगवान की प्रार्थना पत्र में वर्णित कुलिया आराजीयात पर कब्जा भी समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड का है एवं इस भूमि पर समाज की ओर से ही काश्त की जाती हैं एवं उससे प्राप्त आय को समाज द्वारा भगवान की सेवा–पूजा एवं मन्दिर प्रबंधन व देखरेख पर खर्च किया जाता है। इस वादग्रस्त कुलिया भूमि में वाद मित्र बालुदास उवं लक्ष्मणदास का किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है न ही कोई हक, अधिकार, कब्जा इत्यादि है एवं न ही कोई भी पगलिया जी इस भूमि में है , वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा पूरी तरह से गलत हैं।

4. यह कि प्रार्थनाग्रस्त वादग्रस्त कूलिया कषि भूमि श्री नरसिंह जी भगवान के खातेदारी की है तथा नरसिंह जी भगवान के मन्दिर की सेवा पूजा वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा किया जाता है, जो करीब पन्द्रह वर्षो से लगातार चला आ रहा हैं। समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा वाद मित्र बालुदास एवं लक्ष्मणदास के पिता स्व. श्री पुरूषोत्तमदास को उनके जीवनकाल में भगवान की सेवा, पुजा करने के लिए पुजारी नियुक्त किया गया था, जिससे श्री पुरूषोत्तमदास भगवान की सेवा, पुजा का कार्य करते थे एवं इसके बदले में वादग्रस्त नरसिंह जी भगवान के खातेदारी की आराजीयात पर समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा कहे अनुसार फसल उगाते थे एवं सेवा, पूजा के बदले में उस फसल को समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा श्री पुरूषोत्तमदास को दी जाती थी। श्री पुरूषोत्तमदास की आज से करीब 50 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई एवं उसके बाद श्री पुरूषोत्तमदास के लडकों वाद मित्र ने पुजा की आड़ में वादग्रस्त श्री नरसिंह जी भगवान के खातेदारी की इस भूमि को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तथा अवैध रूप से भूमि को हस्तांतरण करने पर उतारू होने लगे, जिससे करीब पन्द्रह वर्ष से श्री चौबीसा ब्राह्मण समाज कानोड द्वारा ही भगवान की सेवा पूजा का कार्य प्रारंभ कर दिया गया एवं श्री पुरूषोत्तमदास के लडको ने पूजा का कार्य बंद कर दिया तब से आज दिन तक समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड की देखरेख में ही भगवान की सेवापूजा का कार्य होता है वादग्रस्त भूमि पर श्री पुरूषोत्तमदास की मृत्यु के बाद उनके लडकों द्वारा भगवान की भूमि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने ये करीब पन्द्रह वर्ष से इस भुमि पर काश्त का कार्य भी पुनः समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा ही किया जाता है तथा करीब पन्द्रह वर्ष से बाद वाद मित्र श्री बालुदास एवं लक्ष्मणदास का वादग्रस्त भगवान की आराजीयात से कभी कोई संबंध नहीं रहा है न कभी कोई काश्त की है न कभी उपयोग–उपभोग किया है एवं न ही मन्दिर के पुजारी हैं। पन्द्रह वर्ष सें वाद मित्र श्री बालुदास एवं लक्ष्मणदास द्वारा कभी भी भगवान की सेवा –पूजा नहीं की गई [illegible] वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार, कब्जा इत्यादि नहीं है। न ही कोई भी [illegible] व पगल्याजी है। वाद मित्र को यह प्रार्थना पत्र जानने का भी कोई अधिकार नहीं है [illegible] प्रार्थना पत्र की इस कलम में इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested

कलम में अन्य सभी कथन भी मिथ्या अंकित किये है, जो गलत होकर अस्वीकार हैं। विपक्षगण द्वारा विशेष कथन पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

5. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया हैं उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आरजीयात परिशिष्ट (क) में अंकित आराजी न. 1729/2+3, 1730, 1731 कुल किता 3 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान में श्री नरसिंह जी मंदिर स्थान देह खुद काश्त के नाम खातेदारी हक से अंकित है तथा परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी न. 1728 रकबा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में समस्थ चौबीसा ब्राहामणान सा. देह श्री नरसिंह जी स्थान देह के नाम खातेदारी हक से अंकित हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात श्री नरसिंह जी मंदिर के नाम दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा वादमित्र के तौर पर प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षीगण को प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद किये जाने से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। हमने प्रार्थना पत्र व दस्तावेज के अवलोकन से पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि श्री नरसिंह जी मंदिर में विराजित नाबालिग अवयस्क मूर्ति की है और वे इस मंदिर मूर्ति व उनकी भूमि की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री पुरूषोतमदास अपने जीवनकाल में इस मंदिर की पुजा पुजारी के तौर पर करते थे जिसको विपक्षीगण द्वारा भी अपने जवाब मे माना हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार श्री पुरूषोतमदास के जीवनकाल में एवं मृत्युपरान्त वादीगण मंदिर मूर्ति की सेवा पुजा और प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर काश्त करते आ रहें हैं। श्री पुरूषोतमदास भगवान की सेवा पुजा करते थे इस कथन को विपक्षीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण के कथन को बल मिलता हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात नाबालिग अवयस्क मूर्ति की होने से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण को पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. **सुविधा संतुलन** :– प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात नाबालिग अवयस्क मूर्ति की भूमि होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने से सुविधा संमुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात अवयस्क मंदिर भूमि की होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

1. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा व दखलअंदाजी किये जाने से विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात मंदिर मुर्ति श्री नरसिंह भगवान की होने से वादमित्र के तौर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री पुरूषोतमदास अपने जीवनकाल में इस मंदिर की पुजा पुजारी के तौर पर करते थे जिसको विपक्षीगण द्वारा भी अपने जवाब मे माना हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार श्री पुरूषोतमदास के जीवनकाल में एवं मृत्युपरान्त वादीगण मंदिर मूर्ति की सेवा पुजा और प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर काश्त करते आ रहें हैं। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं। श्री पुरूषोतमदास भगवान की सेवा पुजा करते थे इस कथन को विपक्षीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में अवयस्क मंदिर मुर्ति नरसिंगजी भगवान की भूमि होने से विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रकरण मे अन्य बिन्दु मुलवाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किये जायेगे। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया है कि मौजा कानोड ए, पटवार हल्का कानोड, तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज.) में जमाबंदी संवत् 2050–53 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 818 की आराजी नंबर 1729/2+3, 1730, 1731 कुल किता 3 रकबा 2 विघा 3 बिस्वा भूमि में व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 389 की आराजी नम्बर 1728 रकबा 17 बिस्वा भूमि में भू प्रबंधन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested